

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/विविध-06-245/18 / राँची, दिनांक /

-: आदेश :-

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770/वि. दिनांक 30.12.1981 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्न कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है :-

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ जन्म तिथि/तत्कालीन पदस्थापन/ प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि एवं पुनरीक्षित प्रोन्नत वेतनमान	प्रदत्त औपबंधिक प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश सं० एवं दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अर्जुन प्रसाद, से० नि० सहायक अभियंता (चालू प्रभार)/01.07.1950/ सिंचाई प्रमण्डल, दुमका/13.04.1973	13.04.1983 (850-30-1270- द०रो. 30-1360)	603/15.01.88	

2. उपर्युक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो प्रदत्त लाभ सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुस्त कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा अभियन्ता प्रमुख-1 का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, दुमका/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका/श्री अर्जुन प्रसाद, से० नि० सहायक अभियंता (चालू प्रभार), ग्राम+पो०-खुदागंज, थाना-इस्लामपुर, जिला-नालन्दा (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 208

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।